राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" कैम्प 2015 ग्राम पंचायत कुशलपुरा
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :— ग्राम पंचायत कुशलपुरा

प्रकरण स. 72/2014 रेवा

निर्णय दिनांक — 04.06.2015

अनवान

1. श्री उदयसिंह पिता केशरसिंह जाति रावत निवासी कुशलपुरा तहसील भीम

वादीगण

बनाम

1. श्री प्रेमसिंह पिता केशरसिंह जाति रावत निवासी कुशलपुरा तहसील भीम
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीम

प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 88 आरटीए

यह कि वादी का वाद पत्र वादी व प्रतिवादीगण के स्वामित्व में मौजा कुशलपुरा पटवार क्षेत्र कुशलपुरा तहसील भीम की मे निम्न वर्णित आराजियात स्थित है:

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा			किस्म
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी	
287	2152/5169	00	05	00	बंझड
	5165	00	06	10	बंझड
	5166	00	03	10	बंझड
	5167	00	12	00	बंझड
	5174	01	01	00	चाही 1, आब 1
	5177	00	04	00	बारानी 2
	5178	00	08	10	चाही 2
	5179	00	07	00	बंझड
	5182	00	01	00	गै0मु0चाह
	5184	00	10	00	बंझड
	5190	00	06	00	नहरी
	5191	00	05	10	नहरी 2
	5192	00	06	00	नहरी 2
	5194	00	01	00	ओडवा
कुल 14 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा					

उक्त वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 है व वादी व प्रतिवादी दोनो संयुक्त रूप से उक्त वर्णित आराजियात पर काश्त करते कराते चले आ रहे है। जमीन रिकार्ड में अलग नही है जिस कारण से वादी अपने हिस्से को उन्नत नही कर पा रहा है तथा मौके पर हमेशा विवाद रहता है। वाद कारण अरसा करीब 10 दिन पूर्व पैदा हुआ जब प्रतिवादी को उक्त आराजियात का बंटवारा करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने कहा हम तो नही चलतें। वाद पत्र की कलम सख्या 1 में वर्णित आराजियात का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा मौके पर रिकार्ड में अलग अलग बंटवारा कराया जावे।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय में लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प कुशलपुरा** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। वर्णित आराजियात में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/2 है व वादी व प्रतिवादी दोनो संयुक्त रूप से उक्त वर्णित आराजियात पर वादी एव प्रतिवादीगणो को काबिल काश्त अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से दाखिल हो।

पालना हेतु तहसीलदार भीम को लिखा जाकर मौके पर हिस्से अनुसार बटवारा तरमीन किया जाकर पालना से अवगत कराना सुनिश्चित करे।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द

Scanned by CamScanner